


पटवारी हाक राजपुर वडा V/S गोपी

प्रकरण सं: 96/2022 प्रवेश तिथि 4-10-22 निर्णय दिनांक 27-6-23

27-6-23 आज पटवारी पेश हुई। रिपोर्ट पटवारी हाक अनुसार लेंड्रे प में तट्ट निम्न प्रकार से है कि गैर साफल गोपी वृष गंगा राम जाति बंजारा निवासी - राजपुर वडा ने ग्राम राजपुर वडा के आराजी स्वयंसेवक नंबर 244/2303 हाकबा 14.47 ई. झूमि-कारागाह पर 0.01 ई. झूमि पर लागू 2079 में अति क्रमण कर लिया है। गैर साफल के विरुद्ध प्रकरण राजस्थान अ हाजल अर्कि 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्ट्रार कर गैर साफल को मोटिल क्रमक 1946 दिनांक 4-10-22 का जारी कर उक्त अति क्रमण के लाबन्ध में माननीय सिविल न्यायाधीश मेहोदय राजगढ़ के पदों स्वगत कोर्टा दिनांक 12-12-22 तक ई होना अवगत कराया, नवल ओडशिक भी पेश की गई।

उक्त प्रकरण से सम्बन्धित एक पटवारी पूर्व से दर्ज मिसाल ने 107/2020 दर्ज लेकर जेकारा है। शामिल पटवारी की गई। जिले में माननीय सिविल न्यायाधीश मेहोदय राजगढ़ के पदों से स्वगत कोर्टा है। उक्त अति क्रमण के लाबन्ध में पुनः मोटिल जारी कर तलब किया गया। गैर साफल की ओर से लाबन्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी का 50 वंकी से कलजा है। एवं बंजारा जाति से है। एवं सज्जरी कर जावन-यापन करते है। कागिही क्षेत्र की जावे। गैर साफल की ओर से परीमान में उक्त प्रकरण में माननीय सिविल न्यायाधीश मेहोदय राजगढ़ के पदों से स्वगत है या नही-काबत कोर्ट ओडशिक पेश नही की गई। स्पष्ट है कि काब-उक्त आराजी (अतिक्रमण) झूमि पर किली भी सक्षम न्यायालय का स्वगत नही है। अतिक्रमणी काबिल वेदवली है।


तहसिलदार ललातर
राजगढ़ जिला अलवर

अतः गौर सगल के आराज उशरनम्
 244/2303 2कका 0.01 ई मुमि-चारगाह से
 केदवली के मोदरे डिपे जोर है। एक शास्त्री-
 लरूप 1-200 कपेय की 50 गुण 50 कपेय कायम
 की जाती है। अ. आशिलेय मिरीशक एक पटवरी
 हाका राजपु वर का वेदवली एक पेनली वपुली
 हेतु किरवा जोर तहलीक राजत्व लेवाकरके
 राजत्व लेखे मे मांग कापमी हेतु किरवा जोर
 पत्रावली केसाग शुमार होकर वम्वर से कन हो।

निर्णय आज दिनांक 27-6-23 को
 खुले न्यायालय में युनाय अघा

रा. ले. स. 4 वर्ष 2023-24
 के पृष्ठ संख्या 37 पर या.प. 50/-
 राशि कायम किबे गये।

—पल्लो
 त. रा. लेखाकार


 तहसीलदार
 राजगढ़ जिला अल्मर

लेवा मे,
 शोषान् महस
 तहलीक 27
 निवेदन है कि